



2026:AHC:6901

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 44195/ 2025

बबलू एवं 2 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता

: राजेश कुमार, यश टंडन

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति, अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री यश टंडन तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री याज्ञवल्क पांडे को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदकगण बबलू, भुवनेश एवं अंकित की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 415 वर्ष 2025, धारा 191 (2), 191 (3), 190, 109 (1), 352, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 7 सी.एल. अधिनियम, थाना जुनावई, जनपद संभल में विचारण लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदकगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदकगण निर्दोष हैं। उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वे दिनांक 07.11.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं। यह भी कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज कराई गई है, न कि स्वयं पीड़ितों द्वारा। आवेदकगण के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें आई हैं। उसी दिन की एक अन्य घटना के परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति, दानवीर, की मृत्यु हो गई। आवेदक पक्ष की ओर से भी दूसरे पक्ष के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने पर उनके न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध किया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित किए जाने की आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदकगण **बबलू, भुवनेश एवं अंकित**, उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, प्रत्येक द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों के समतुल्य धनराशि पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किए जाएं—

1. आवेदकगण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
2. आवेदकगण किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे।
3. आवेदकगण अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं लेंगे/धमकाएंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।
4. आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उनके व्यक्तिगत उपस्थित होने से अधिवक्ता के माध्यम से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर अधीनस्थ न्यायालय को उनकी जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 12 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश